2 Rs. COURT FEE 2 Rs.
भारत INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

न्यायालय [illegible] पदेन राजस्व अपील अधिकारीजी
अजमेर

575/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
17/12/25

575/2025
17/12/25

अपील प्रस्तुत कर्ता :–मोहन लाल पुत्र कुणना उर्फ कुन्दनमल ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)।

– अपीलान्ट/वादी

बनाम

1–देवीलाल पुत्र कुणना उर्फ कुन्दनमल ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)।

2– कमला पुत्री कुणना उर्फ कुन्दनमल ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)

3– शांति पुत्री कुणना उर्फ कुन्दनमल ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)

4–**लादूराम पुत्र मांगीलाल ब्राहम्ण मृतक के बजाय**–

4/1– रामेश्वर पुत्र लादूराम ब्राहम्ण

4/2– नानूराम पुत्र लादूराम ब्राहम्ण

4/3– राधेश्याम पुत्र लादूराम ब्राहम्ण

4/4– गोपाल पुत्र लादूराम ब्राहम्ण

4/5– कैलाश पुत्र लादूराम ब्राहम्ण

4/6– शांति पुत्री लादूराम ब्राहम्ण समस्त उम्र बालिग निवासियानबाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)

– वादीगण/रेस्पोडेन्टस

5– ओमप्रकाश पुत्र रिद्वकरण ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)

6–**अशोक कुमार पुत्र रिद्वकरण ब्राहम्ण मृतक के बजाय**–

6/1– आयुष पुत्र अशोक कुमार ब्राहम्ण

6/2– सिवानी पुत्री अशोक कुमार ब्राहम्ण

6/3– कमला पत्नि अशोक कुमार ब्राहम्ण समस्त उम्र बालिग निवासियान बाडी हाल निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा हाल बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.)।

8– उप पंजियक महोदय, बिजयनगर जिला ब्यावर।

9–**भैरू पुत्र नारायण ब्राहम्ण मृतक के वारिसान**–

9/1– घनश्याम पुत्र भैरू ब्राहम्ण

9/2– राधेश्याम पुत्र भैरू ब्राहम्ण

9/3– कैलाश पुत्र भैरू ब्राहम्ण

9/4– ताराचन्द पुत्र भैरू ब्राहम्ण

9/5— यशोदा पुत्री भैरू ब्राहम्ण
9/6— प्रेमबाई पुत्री भैरू ब्राहम्ण
9/7— श्याम बाई पुत्री भैरू ब्राहम्ण
9/10—शिवकान्ता पुत्री रामप्रसाद पुत्र भैरू ब्राहम्ण
9/11—राजू पुत्र रामप्रसाद ब्राहम्ण
9/12—अरविन्द पुत्र रामप्रसाद ब्राहम्ण समस्त उम्र बालिग निवासियान बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।

— रेस्पाडेन्स/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट खिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर महोदय मसूदा दिनांक 8.9.2025 मु.न. 130/2024 अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

महोदयजी ,
अपीलान्टकी ओर से इस प्रकार निवेदन है —

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी व रेस्पोडेन्ट न. 1 स 3 के पिता कुन्दनमल व रेसपोडेन्ट न. 4 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 , 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया गया जिस पर वादीगण के द्वारा राजस्व अपीलीय अधिकारी अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 248/2001/223 पर दर्ज होकर दिनांक 18.03.2002 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के द्वारा अपीलीय न्यायालय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर मे की जो अपील/टीए/2191/2002/अजमेर पर होकर बाद सुनवाई दिनांक 27.11. 2018 को अपीलीय न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुये अपील को खारिज कर दी गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय मे वाद की सुनवाई पुनः शुरू की गई।

2— यह कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश व अपीलीय न्यायालय मे कार्यवाही के दौरान वादी कुन्दनमल की मृत्यु के साथ साथ प्रतिवादी न. 1 भैरूलाल की मृत्यु हो गई जिनके वारिसान राजस्व मण्डल की अपील मे पक्षकार कायम हुये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलीय निर्णय के उपरान्त प्रकरण को दिनांक 3.9.2024 को पुनः दर्ज कर पक्षकारानो को सुनवाई के नोटिस जारी किये जाने थे लेकिन केवल प्रतिवादीगण के नोटिस जारी करने की आदेशिका मे लिखा गया जो कानूनन गलत किया गया जब अपीलीय न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायलाय के आदेश को अपास्त कर दिया गया था सभी पक्षकारान को सुनवाई करने के लिए नोटिस जारी किया जाना न्यायोचित था मगर उनके द्वारा ऐसा न कर कानूनी भूल की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मोहनलाल बनाम देवीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 575/2025 (मसूदा)

विड्रो किये जाने से खारिज
6/01/26

	श्री धीरज खेतावत	
17.12.2025	मोहन बनाम देवीलाल वगैरह (2025/575) यह अपील श्री धीरज खेतावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 130/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 23.12.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
23.12.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को सुरक्षित रखते हुए अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाबत बाहुल्यता नही बढ़े इसलिए विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनायी रखी जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। **अतः आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 130/2024 में आदेश दिनांक 08.09.2025 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को आगामी पेशी तक स्थगित रखा जाकर विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 15.01.2026 तक बनायी रखी जाती है।** अभिभाषक अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 9/12 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करें। रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश किये जाने पर प्रमाणित प्रति/तहरीर जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.01.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	मोहनलाल
6/1/26	यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने वास्ते पत्रावली तलब कर विड्रो करने बाबत अपीलांट ने प्रार्थना पत्र से तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील को आगे नहीं चलाकर विड्रो करना चाहते है। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए एवं अंगुष्ठ पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री धीरज खेतावत द्वारा की गई। अतः अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार रिकार्ड नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	I.d. Dheeraj Kumar Advocate 6/01/2026

RAA

मोहनलाल